




SACIL



0019308089



**विक्रय पत्र**  
**कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या**

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या 120	गाटा की यूनिट आई.डी. 1662690120000012	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.1050
--------------------	--	------------------------------------

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0350 हेक्
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
120	0.0350	चकमार्ग सीमाग्राम सलारपुर	चकमार्ग गाटा सं० 116/305	गा०सं०- 119	गा०सं०-



दरबारी लाल पाण्डे



सुन्दर प्रताप शर्मा



एके शर्मा

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टर में)	भूमि के कृष मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिशत की धनराशि
1	2	3	4		7	8
120	0.0350	दरवारी लाल उर्फ दरवारी लाल यादव	रामसुख यादव	0.01167	256740.00	256740.00
		सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	0.01167	256740.00	256740.00
		धर्मन्द्र कुमार	रामसुख यादव	0.01166	256520.00	256520.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 53900.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
दरवारी लाल यादव	रामसुख यादव	667555466622	AMCPY9734D	9936566812	कृषि	पु. नवनी चिन्त मोहम्मदपुर साहायल जयधाम।
सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	985590715091	AJCPY9435E	9701447589	नौकरी	8-471 बन्ही मोदी रोड मुन्ही अमरपुर आन्ध्रप्रदेश 515402
धर्मन्द्र कुमार यादव	रामसुख यादव	681621803427	ACRPY1888P	9949855410	व्यापार	12-5-15 नरती नगर बालनगर मूसानेट रंगरहड़ी आन्ध्रप्रदेश 500018


10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

  
दरवारी लाल यादव

  
सुरेन्द्र प्रताप यादव

  
धर्मन्द्र कुमार यादव

  
उप सचिव  
अयोधन विकास प्राधिकरण, अयोधन



Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a name or title.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a name or title.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a signature or official name.

क्रेता का नाम	का पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियो और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

दरबारी लाल शर्मा


सुरेश्वर प्रसाद शर्मा

अयोध्या विकास प्राधिकरण

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten text at the top of the page, including a date and some introductory lines.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or a report, with several lines of script.



Handwritten text located below the circular stamp, continuing the document's content.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.

अ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा गुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।

ब- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को राशी प्रयोजनो हेतु स्वीकार किया जायेगा।

### 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	दरवारी लाल यादव	रामसुख यादव	स्टेट बैंक ऑफ़ गुजरात	SBIN0011229	33760269393	256740.00
2	सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	बड़ौदा सू०पी० ग्रामीण बैंक	BARBOBUPGB X	55300100004226	256740.00
3	धर्मेन्द्र कुमार यादव	रामसुख यादव	आई०सी०आई०आई० बैंक आन्ध्रप्रदेश	ICIC0001116	111601508864	256520.00
					<b>Total</b>	<b>770000.00</b>

कुल धनराशि शब्दों में- ( सात लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान, विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-



धर्मेन्द्र कुमार यादव

दरवारी लाल यादव सुरेन्द्र प्रताप यादव

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten text at the top of the page, appearing to be a header or introductory paragraph.

A table with multiple columns and rows, containing handwritten entries. The text is mirrored and difficult to read.

Handwritten text in the middle section of the page, possibly a continuation of the report or notes.



Handwritten signature or name in the lower middle section.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or reference number.



हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	रतन राजबली प्रसाद	7607778903	गौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
अभिषेक शाक्त	तारवारी लाल शाक्त	7379649517	विद्यार्थी	पूरे गंगानी चिर्स मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



अभिषेक

ABHISEK SHAKT

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।


चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

दरवारी लाल शाक्त सुरेश्वर प्रताप शाक्त

अभिषेक शाक्त

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint handwritten text at the bottom of the page]*

- (1) यह कि क्रय निकाय द्वारा समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथक्त:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

दस्तावेज अन्तर्गत  
सुरेन्द्र चरण खन्ना

धर्मेश्वर शर्मा

उपसचिव

अर्थोपस्थापन विभाग, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904009489

विक्रय पत्र

वर्ष: 2023

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7796

प्रतिफल- 770000 स्टाम्प शुल्क- 53900 बाजारी मूल्य - 770000 पंजीकरण शुल्क - 7700 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 7760




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/12/2023 एवं  
04:11:07 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
11/12/2023

निबंधक लिपिक  
11/12/2023

प्रिंट करें



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00113	120	0.0350		770000.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)	देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
			नाम	पिता/पति का नाम	
08	09	10	11	पता	
		770000.00	दरबारी लाल यादव	रामसुख यादव	पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
			सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	8-471 बण्डी मोती रोड गुल्ती अनन्तपुर आन्ध्रप्रदेश 515402
			धर्मन्द्र कुमार यादव	रामसुख यादव	12-5-15 मरुती नगर बालननगर मूसापेट रंगारेड्डी आन्ध्रप्रदेश 500018

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	दरबारी लाल यादव	रामसुख यादव	पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	दरबारी लाल यादव
2	सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	8-471 बण्डी मोती रोड गुल्ती अनन्तपुर आन्ध्रप्रदेश 515402	सुरेन्द्र प्रताप यादव
3	धर्मन्द्र कुमार यादव	रामसुख यादव	12-5-15 मरुती नगर बालननगर मूसापेट रंगारेड्डी आन्ध्रप्रदेश	धर्मन्द्र कुमार यादव



दरबारी लाल यादव

सुरेन्द्र प्रताप यादव

धर्मन्द्र कुमार यादव

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पहचानकर्ता : 2

श्री अभिषेक यादव, पुत्र श्री दरबारी लाल यादव  
निवासी: पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: अध्यक्ष

अभिषेक यादव



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह


उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

11/12/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
11/12/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

प्रिंट करें



# उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 1662/17/2024/12

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

तहसील : सोहावल जनपद : अयोध्या

ग्राम क्रमांक : 166269 ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपरहार (मंगलसी)

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश  
उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने  
वाले अधिकारी का पद

दिप्पी

खता खतीनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	7-12	13
-----------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------	----

1 2

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संप्रक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00113 राममिलन / ठाकुर प्रसाद / नि. ग्राम सीताराम / ठाकुर प्रसाद / नि. ग्राम दरबारीलाल / रामसुख / चिरमोहम्मदपुर सुरेन्द्र प्रताप / रामसुख / चिरमोहम्मदपुर धर्मेन्द्र कुमार / रामसुख / चिरमोहम्मदपुर

1390

120

0.1050

7-12

13

1431फ. आदेश न्याया. नायब तहसीलदार- मसौधा, सोहावल वाद सं0 T202304230205623 ता0 फे0 18-11-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतीनी वर्ष 1426-1431 फसली की खता संख्या 113 व 44 पर अंकित मूतक खातेदार राम मिलन यादव पुत्र ठाकुरदीन यादव निवासी पूरे भवानी मौजा चिरमोहम्मदपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता श्रीमती सूरसती देवी पत्नी रामसुख यादव व मूतक के जायज वारिसान दरबारीलाल, सुरेन्द्र प्रताप व धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण रामसुख निवासी ग्राम चिरमोहम्मदपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 24.02.2007 के आधार पर दर्ज हो। ह.रा.नि.का./ 20-11-2023

1431फ0 द्वारा परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी, सोहावल वाद सं0 T202304230205885 भोलेन्द्र आदि बनाम सरकार उ०प्र०, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 38(1) वाद में दिनांक 29-11-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी

तहसील सोहावल जिला अयोध्या दर्शन करने के  
 1426 से 1431एक की दस्ता संख्या 113 परा संख्या  
 120/0.1050 पर सुरपुर न्य से अक्षय खेतपुर  
 सोलाराम पुत्र ठाकुर प्रसाद के सन पर श्री नाम  
 (सुरकराम अथ पुत्र ठाकुर प्रसाद के बरकराम  
 शान्ती देवी पत्नी राम अथ व दुर्गराम, रामराम,  
 भालेन्द्र पुत्रगण राम अथ निवासी ग्राम पुं भवानी का  
 पुरवा विरामोहम्मदपुर का नाम अक्षय हो।  
 ह.रा.नि.का/30-11-2023

1431फ. आदेश न्याया. तहसीलदर-आधिक, सोहावल  
 वाद सं0 T202404230200239 ता0 के0 28-02-2024  
 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरकर परगना  
 मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतीनी  
 वर्ष 1426-1431 फसली को खता संख्या 113 पर  
 अंकित गाटा संख्या 120/0.1050है. में से 0.0350है.  
 अंकित 0.10रू. से विकेला दरवारी लाल यादव पुत्र  
 लगानी यादव व सुरेन्द्र प्रताप पुत्र रामसुख यादव व  
 रामसुख यादव व सुरेन्द्र प्रताप पुत्र रामसुख यादव व  
 धर्मेश कुमार यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी पूरे  
 भवाना चिरा मोहम्मदपुर परगना मंगलसी तहसील  
 सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके केला  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या का नाम जोरिए  
 पंजीकृत बैनामा दिनांक 11.12.2023 के आधार पर दर्ज  
 हो।ह.रा.नि.का/ 16.03.2024

कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- भूय दशमलव एक शून्य पाँच शून्य (हैक्टयर)	कुल भूराजस्व - तीन दशमलव आठ सात रुपये	1	0.1050	₹ 3.87	3	0
--------------	--	---------------------------------------	---	--------	--------	---	---



सक्षम अधिकारी: UDAYRAJ  
 तहसील: सोहावल जनपद: अयोध्या  
 दिनांक एवं समय: 27-03-2024 12:04:35  
 यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस द्वारा तयार की गया है तथा जांचा डिटेल हस्ताक्षर द्वारा  
 हस्ताक्षरित है।

**भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**तह0 सोहावल, जनपद-अयोध्या**  
 नकल शुल्क प्रति खता रू0 15/- मात्र  
 सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित  
 27 MAR 2024  
 ह0 राजस्व निरीक्षक

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अभिषेक यादव	दरबारी लाल यादव	7379649517	विद्यार्थी	पूरे भवानी विरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	अभिषेक यादव

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।



धर्मेन्द्र कुमार यादव

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण.



दरबारी लाल यादव सुरेन्द्र कुमार यादव

आवेदन सं०: 202300904009489

वर्ष: 2023

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7796

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री दरबारी लाल यादव, पुत्र श्री राम सुख यादव

निवासी: पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि दरबारी लाल यादव

विक्रेता: 2



श्री सुरेन्द्र प्रताप, पुत्र श्री राम सुख यादव

निवासी: पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी सुरेन्द्र प्रताप यादव

विक्रेता: 3




श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री राम सुख यादव

निवासी: पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1 धर्मेन्द्र कुमार यादव



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजवली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



13/04/2023 15:00:00

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु यथागत भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्वन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
120	दरवारी लाल यादव	रामसुख यादव	0.01167	दरवारी लाल यादव
	सुरेन्द्र प्रताप	रामसुख यादव	0.01167	सुरेन्द्र प्रताप यादव
	धर्मेन्द्र कुमार यादव	रामसुख यादव	0.01166	धर्मेन्द्र कुमार यादव

निष्पादन का दिनांक:- 11/12/2023  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



दरवारी लाल यादव



सुरेन्द्र प्रताप यादव

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





धर्मेन्द्र कुमार यादव

आवेदन सं०: 202300904009489

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3200 के पृष्ठ 13 से 32 तक क्रमांक 7796 पर  
दिनांक 11/12/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
रोहुल-सिंह  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
11/12/2023



P2115 5115 2-11-23